भारतीय वॉंयलर अधिनियम 1923
वॉयलर निरीक्षण विभाग
मितोपयोजित
रजिस्ट्री संख्या

टिप्पणी : यदि पाइप इस्पात से निर्मित है और भारत या अन्य देशों के सुविख्यात इस्पात निर्माताओं द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं तो उनके द्वारा प्रमाणित सामग्री का व्यौरा (किसी भी फार्म से) इस प्रमाणपत्र के उपयुक्त कॉलम या पैराग्राफ में नोट किया जाए ।

फार्म IV
इस्पात निर्माता का विनिर्माण प्रमाणपत्र और परीक्षण के परिणाम
(विनीयम) 4 (ग) (IV)

हम यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे उल्लेखित सामग्री का निमार्ण ।
मैसर्स .... द्वारा .... प्रक्रिया द्वारा .... तथा .... विनिर्देशों के अनुसार किया गया है और .... द्वारा उल्लेखित किया गया है और हमारे टेस्ट हाऊस मेनेजर या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में अनुबंध परीक्षण ओर उपेक्ष्य त्रुटि के अनुसार संतोषजनक ढंग से किया गया है ।

गोलीय छड़ों /स्केल, बिलेट और स्ट्रिप के लिए जो ट्यूब / पाइप बनाने के लिए उसी विनिर्माता द्वारा तैयार की जाती है इस्पात विनिर्माता को भौतिक गुण बताने की आवश्यकता नहीं है।

परीक्षण प्रमाणपत्र सं. ....

टेस्ट हाऊस मेनेजर के हस्ताक्षण या

आधशर

आदेश सं.	सांचा सं	विनिर्देश/ और ग्रेड	प्लेट संख्या	टुकड़ों की संख्या

भार टन में	आकार (मिमी)	ऊष्मा उपचार	रासायनिक विश्लेषण (लेडल) Mu P.S. S.	अन्य एलॉम घटक

यांत्रिक गुणधर्म

वाई. एस. किग्रा/मीमी^{2}	यू. टी. एस.	दीर्घीकरण	उक्त	तापमान बंकन

आयुक्ति प्रपत्र

प्रेषिती :–

निम्नलिखित को प्रयोग करने की वास्तविक प्रक्रिया ।

(1) बेसिक ओपन हर्थ
(2) एसिट ओपन हर्थ
(3) बेसिक ऑक्सीजन
(4) विद्युत भट्टी

फार्म IV– क

विनिर्माता का प्रमाणपत्र और फार्म IV के स्थान पर परीक्षण के परिणाम (विनियम 4 –ग (IV))

यह प्रमाणित किया जाता है कि बायलर या उसके पुर्जों के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में फार्म V में मूल इस्पात विनिर्माता के प्रमाणपत्र में निम्मनलिखित सूचना दी गई है इनकी मेकर्स संख्या दी गई है तथा नमूने आरेख संख्या के अनुसार है ।

बायलर का ऊर्जा	मात्रा	कास्ट / हीट सं.	प्लेट सं	इस्पात बनाने की प्रक्रिया

विनिर्देश	ऑक्सीकरण

इस्पात निर्माता / पुर्जानिर्माता का नाम	परीक्षण –पीस सं.	प्रमाणपत्र सं. और तारीख

ऊष्मा उपचार रासायनिक विश्लेषण

Mu P.S.Si

अन्य एलॉय घटक

यांत्रिक गुण

वाई. एस. kg/mm^2 पाड (kg/mm^2) दीर्घीकरण बेंड

% जी एल   परीक्षण

———

———

कार्यालय मुहर   निरीक्षण प्राधिकारी

अधपन्ना
सं ———————————
——————————————

को बायलर (रजिस्ट्री सं ....)
बायलर रेटिंग .... का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है
यह बायलर ....द्वारा निर्मित है और उसपर निर्माता की
स. ....है

सं

फार्म – V

(विनियम 381) (ग)

भारतीय बायलर अधिनियम 1923 की धारा 9 के अधीन आदेश
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————

को बायलर रेटिंग ———————— का बायलर (रजिस्ट्री सं ——————) प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है ।

जिसका अधिकतम दाब ——————————————lbs प्रतिवर्ग है, इस प्रमाणपत्र की तारीख से छह माह की अवधि भीतर जारी देने में विलम्ब होने पर या प्रमाणपत्र अस्वीकार कर दिए जाने पर ये आदेश रद्द हो जाएंगे ।

तारीख बायलरों का निरीक्षण

यह वायलर —————————————— द्वारा निर्मित है और इस पर निर्माता की संख्या .... है जिसका अधिकतम दाब —————————— 1 बी. एस. प्रतिवर्ग है, इस प्रमाणपत्र की तारीख से यह माह की अवधि के भीतर जारी होने में विलग्ब होने पर प्रमाणपत्र अस्वीकार कर दिए जोन पर, आदेश रद्द हो जाएंगे ।

तारीख बायलरों के निरीक्षक

विशेष ध्यान दें : किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति की मांग पर ये आदेश प्रस्तुत किए जाएं और आदेश प्राप्त हो जाने पर ये मुख्य निरीक्षक को समर्पित कर दिए जाएं ।

फार्म VI
बॉयलर निरीक्षण विभाग

बॉयलर के प्रयोग के लिए प्रमाणपत्र (विनियम 359)

बायलर की रजिस्ट्री सं   बॉयलर का प्रकार

बायलर रेटिंग   विनिर्माण का स्थान और वर्ष
——————————————————————————————

अधिकतम निरन्तर वाष्पन

——————————————————————————————

मालिक का नाम
——————————————————————————————

बॉयलर की स्थिति
——————————————————————————————

मरम्मत
——————————————————————————————

अम्लयुक्ति
——————————————————————————————

द्रवचालित परिक्षित ————— से ———— तक 1दक प्रतिवर्ग इंच

——————————————————————————————

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि

भारतीय बायलर अधिनियम 1923 के V की धारा 7/8 के उपबंधों के अधीन मैंने /मुख्य निरीक्षक ने ऊपर उल्लिखित बॉयलर की अनुमति दी है जो ———————— से ————— त. की अवधि तक अधिकतम दाब—————————————— lbs पर कार्य करेगा ।
———————————— सुरक्षा वाल्ब का भरण ————————— से अधिक नहीं है ।
—————————— रा. फीस ———————— तारीख को ————————— 19——— को अदा की गई ।

निरीक्षक
प्रतिहस्ताक्षरित
मुख्य निरीक्षक
शर्तो के लिए पृष्ठ संख्या के पिछली ओर देखें ।

शर्तें

(फार्म VI का पिछला पृष्ठ)

1. अधिनियम की धारा 12 के अनुसार वो सिवाय अन्य किसी भी प्रकार से बॉयलर में संरचनात्मक परिवर्धन, परिवर्तन या नवीपन नहीं किया जाएगा ।
2. अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों के अधीन यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होगा ।

(क) वह अवधि समाप्त हो जाने पर जिसके लिए यह दिया गया है
(ख) बायलर में कोई दुर्घटना हो जाने पर ।
(ग) बायलर हटा दिया जाता है तथा दूसरा बायलर ऊध्वाधर बायलर नहीं होता है तथा जिसका तापन पृष्ठ दो सौ फीट से कम हो या सुवाहय या चानीय वायॅलर हो ।
(घ) जब बायलर में या उसके साथ कोई संरचनात्मक परिवर्धन, परिवर्तन का नवीयन किया गया हो या ।
(ड़) यदि मुख्य निरीक्षक किसी विशेष मामले में यह निर्देश दे कि बायलर में या उसके साथ जुड़े हुए भाप पाइप में कोई संरचनात्मक परिवर्धन, परिवर्तन या नवीपन किया जाए या
(च) बॉयलर के मालिक को मुख्य निरीक्षण या निरीक्षक की ओर से बॉयलर का प्रयोग इस आधार पर न करने का आदेश प्राप्त होने पर कि यह या इस के साथ संलग्न भाप पाइप खतरनाक स्थिति में है।

अधिनियम की धारा 10 के अधीन जब बॉयलर के प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो जाती है तो मालिक

इनके प्रयोग करने के आदेशों के जारी होने के लंबित रहने पर पिछले प्रमाणपत्र में दिए गए अधिकतम दाब पर बॉयलर का प्रयोग करने का हकदार होगा बशर्ते कि उसने प्रमाणपत्र के नवीयन के लिए वह अवधि समाप्त होने से पहले आवेदन किया हो लेकिन इस प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने के पश्चात धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ड़) और (च) में उल्लिखित मामलों में बायलर का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा ।

(3) प्रमाणपत्र में दिए गए दाब से अधिक पर बॉयलर का प्रयोग नहीं करेगा न ही अधिक दाब से अधिक पर नहीं करेगा ।

फार्म VII

निर्माणाधीन कार्य के निरीक्षण के लिए
———————————————————————————————
निरीक्षण प्रधिकारी का प्रमाणपत्र
———————————————————————————————
निरीक्षण प्राधिकारी का पदनाम

———————————————————————————————

विनियम 501 (ड़)

हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने ——————————— टाइप ——————— इकानोगाइजर का पर्यवेक्षण किया है जिसमें —————————— सेक्शन है प्रत्येक में —————— ट्यूब है । जो ————— एल. बी.एस. कार्यशील दाब पर गैस ——————————के लिए निर्मित किया गया था और निरीक्षण अधिकार ने निर्माण की निभिन्न अवस्थाओं में निरीक्षण किया था और निर्माण और कारीगरी

यह भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के अध्याय VII में इकानोमाइजर के डिजाइन व निर्माण के लिए मानक शर्तों के अनुरूप है । प्रत्येक सेक्शन पर पहचान चिह्न अन्य दाब पुर्जे पर शाखा पाइप उसकी स्थिति ।
कार्य पूरा होने पर, सेक्शनों में तारीख ————————— को निरीक्षण अधिकारी की उपस्थिति में जल दाब 10 मिनट में ———————— एल. बी. एस. प्रति वर्ग था और निनियम 504 के अनुसार परीक्षण को संतोषजनक रूप से समझ लिया था
इकॉनोमाइज के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के नमूनों का परीक्षण निरीक्षण अधिकारी की उपस्थिति में किया गया था और यह पाया कि भारतीय बायलर विनियय1950के अध्याय में निर्धारित परीश्रणों का पालन किया गया था इसमें स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट कर लिया है कि इकानोंमाइज के निमार्ण और विमा.हमारे दारा हस्ताक्षरित निर्माता के आरेख संख्या में दर्शाए गए अनुसार है और फार्म VIIIमें निर्माता के विनिमार्ण प्रमाणपत्र में दर्ज ब्योरा हमारे दारा प्रतिहस्ताक्षरित है और हमारे जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आज तारीख ——————————वर्ष

निरिक्षण प्राधिकारी
हस्ताक्षर

फार्म VIII

निर्माण कार्य के पते
निर्माता का
विनिर्माण और परीक्षण प्रमाणपत्र

(विनिर्माण 501 (घ))

---

1. विवरण .	इकॉनोमाइजर का प्रकार सेक्शनों की सं0 आशयत कार्यशील दाब विनिर्माण का वर्ष विवरण	ट्यूबों की संख्या एलबीएस ट्यूबों का कुल तापन पृष्ठ

---

2. निरीक्षण प्राधिकारी	इकॉनोमाइजर का निर्माण ———————— के पर्यवेक्षण में किया गया, सेक्शनों का द्रवचालित परीक्षण ———— मिनट के लिए किया गया और ——————————द्वारा परीक्षण करने के पश्चात किया गया।

---

3. निर्माण और विवरण आरेख सं0 ————————————————
कारीगरी में दिया गया है। सभी कास्टिंग सुसज्जित है और बाहरी –.त्रुटियों, और छिद्रों से रहित हैं ओर विमा बिल्कुल सही है। जहाँ चैपलेट का प्रयोग किया गया है वहाँ धातु से संतोषजनक फ्यूजन कर दिया गया हैं चैपलेट – सीसा रहित धातु से सही ढंग से कलईदार है। सभी पेंच धागे सही रूप में हैं । सभी सघटक पुर्जे इस प्रकार विनिर्मित किये गये है कि उससे इनको आपस में कसने के लिए प्रमापी लगाए जा सकें।

4. इकॉनोमाइजर और फिटिंग	पुर्जे	सामग्री	मेकर	निरीक्षण अधिकारी
प्रयुक्त सामग्री	हैडर			

पुर्जो की मोटाई और तनन परीक्षण सीमा

5	किलोमीटर	मोटाई इंच का 32वां भाग	तनन सामर्थ्य सीमा इंच में	.दीर्घीकरण सीमा % में	. प्रथम लम्बाई गेज	.ब्राड और संख्या

- प्रयुक्त विभिन्न पुर्जो के सयश ब्यौरा हमारे अधिकृत के प्रमाण पत्रों के अनुसार है।

मितोपयोजित्र के खंड का डिजाइन
मुख्य पुर्जो के पार्श्व दृश्य आरेख सं........... में दर्शाई गई ड्रांइग के अनुसार पूरी तरह से विगांकित है। मितापयोजित्र का डिजाइन और निर्माण इस प्रकार से किया गय है कि यह हमारे उपर्युक्त निर्माण कार्य पर .... lbs प्रतिवर्ग मीटर....................कार्यशील दाब पर भारतीय बॉयलर विनियोग को पूरा करता है। और सेक्शन हमारे उत्तरदायी प्रतिनिधि..................की उपस्थिति में........ ....तारीख.........................माह............................वर्ष को.................मिनट के लिए............ lbs प्रतिइंच का परीक्षण संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया

हमारे प्रतिनिधि के हस्ताक्षर निचे दिए गए हैं।
निर्माता के हस्ताक्षर
..........................की साक्षी इंजीनियर
हस्ताक्षर
.....................तारीख ....माह ....वर्ष
निरीक्षण प्राधिकारी
के हस्ताक्षर

नितोपयोजित के आरेख
निर्माता के निर्माण प्रमाणपत्र में दर्शाया सामर्थ्य और दीर्घीकरण उस प्रमाण पत्र के साथ लगाया जाना चाहिए

निरीक्षण प्राधिकारी के पर्यवेक्षण को बनाया गया है तो फार्म VII में उनका प्रमाण पत्र लगाया जाना चाहिए

फार्म IX
(विनियम 528)
(राष्ट्रीय प्रतीक)

भारतीय वॉयलर अधिनियम 1923

\- वॉयलर निरीक्षण विभाग

मितोपयोजित

रजिस्ट्री संख्या

निरीक्षण ज्ञापन

विविध

जिला————————————————————————

मालिक———————————————————————

फैक्टरी का पता——————————————————

.निकटतम रेलवे स्टेशन———————————————

मितापयोजित————————पर———————तारी—————को रजिस्टर्ड

रजिस्टर सं————————पृष्ठ——————

रजिस्ट्री सं——————————————तारीख को प्रयोग

अपेक्षित कोयशील दाब—————————————lbs

निरीक्षण शुल्क—————

अनन्तिम आदेश और रिकार्ड किया गया प्रमाणपत्र

शुल्क	.अदायगी की तारीख	निरीक्षण की तारीख	प्रमाणपत्र की अवधि	.कार्यशील दाब	.मितोपयोजि विचार	.अम्प्रक्ति और निरीक्षक के हस्ताक्षर

मितोपयोजि का प्रकार——————————————————

निर्माता——————————————————————————

अपेक्षित कार्यशील दाब———————————————————

निर्माण का स्थान व वर्ष————————————————————

निर्यात की संख्या—————————————————————————————
मितोपयोजित्र का ——————————————————————————————

ट्यूबो की सं.————————लम्बाई————————व्यास———————
मोटाई————————————————————————————————
आन्तरिक व्यास—————————————————————————————
हैडर की संख्या————————————————मोटाई—————————
.ऊपरी ब्रांच पाइप की लम्बाई————————मोटाई——————————
कैप खोलने पर विया————————————————————————
कैप वोल्टों का व्यास————————————————————————

आरोपिका

सं	व्यास	प्रकार	.स्थिति	सामग्री
विमोचत वाल्व				
स्टॉप वाल्व				
अच्पोमन				
थर्मामीटर				
दाव गेज				

अतिरिक्त निरीक्षण——————————————————————————————

<u>निर्माता का प्रमाणपत्र</u>

निर्माता का नाम ——————————————————————————————

निर्माता का द्रवचालित
परीक्षण दाव————————————————————————————————

निर्माता की आरेख सं.——————————————————————————

निरीक्षण प्रधिकारी का नाम——————————————————————

सामाग्री निर्माता का नाम———————————————————————

किया———————————— टयूब——————————
हैडर——————————
बेल्ट——————————

परीक्षण के परिणाम

1——————————सी——————————ई
2——————————सी——————————ई
3——————————सी——————————ई
4——————————सी——————————ई

सल्फर की %
फासफोरस की %
निर्माता की पहचान चिहन
स्थिति
————————————————————————————————

परिकलन

<u>हैडर</u>

<u>ट्यूब</u>

<u>शाखा पाइप</u>

<u>बोल्ट</u>

<u>तापक पृष्ठ</u>

कुल तापक पृष्ठ——————————————————————
मितोपयोजित्र निर्धारित—————————————————————
————————————————————————————————
निरीक्षण कर्ता——————————————तारीख को प्रस्तुत
जांचकर्ता——————————जांच—————— तारीख की गई
दाव अर्थात
अनुपेक्षित कार्यशील दाब———————————lbs
मुख्य निरीक्षक की अम्युक्ति———————————————— lbs
और हस्ताक्षर————————————

निरीक्षक की टिप्पणियां

प्रतिपत्रक	फार्म X विनियम 525 (ड)
से उस प्रतियुक्त यां फर्म का नाम जिसको अनन्तिम आदेश किया गया है।	सं. भारतीय वॉयलर अधिनियम 1923 के अधीन अनन्तिम आदेश
मितोपयोजित्र का वर्णन	
निर्माता की संख्या	
विच्पोर	
अनुमत	को अनुमत किया जाता है
	द्वारा
अतत्रिम तारीख	निर्मित और निर्माता की सं.———————— द्वारा मितोपयोजित्र रजिस्ट्री सं——— और मितोपयोजित्र विच्पोर ——————का प्रयोग कर सकते है
निरीक्षक	

का अधिकतम तापमान——————————lbs फा.
पर अधिकतम दाब———————————— प्रति
वर्ग इंच है तथा आज की तारीख से वह महीने के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने या अस्वीकार करने के पश्चात् यह आदेश रदद हो जाएगा
———————तारीख———————माह——————वर्ष

निरीक्षक

फार्म XI

————————————————————बॉयलर निरीक्षण विभाग
मितापयोजित के प्रयोग के लिए प्रमाणपत्र
(विनियम 530)
मितोपयोजि की रजिस्ट्री सं0 ——————प्रकार
——————————————————————————————
ट्यूबो की सं0
हैडरों की सं0
———————————————————————————————
मितोपयोजित्र विच्योर * विनिमय का स्थान व वर्ष
——————————————————————————————————
मालिक का नाम
———————————————————————————————————
मितोपयोजित्र की स्थिति
———————————————————————————————————
——————————————————————————————————
मरम्मत
——————————————————————
अभ्युक्ति
द्रवचालित परीक्षण किया गया——————————की तारीख————किग्रा प्रतिवर्ग सेमी / lbs
प्रतिवर्ग इंच ——————————————————————————————————————

मैं / हम यह प्रमाणित करता हूं / करते है कि भारतीय बॉयलर अधिनियम 1922–1923 का V की धारा——————के अनुबंध के अधीन मैने / मुख्य निरीक्षक ने ऊपर उल्लेखित मितोपयोजित्र की अनुमति दी है यह दि——————————से————————तक को कतग दाब ——— lbs प्रति वर्ग इंच के कतग तापमान पर कार्य करेगा।

सुरक्षा वाल्ब का भारण—————— lbs
से अधिक नही होना।

वतक——————————रू0 —————————— तारीख को अदा किया गया।

तारीख——————————————माह——————————————वर्ष

निरीक्षक प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य निरीक्षक

फार्म XI का पृष्ठ

शर्ते
1 मुख्य निरीक्षक से लिखित अनुमति लिए बिना कोई किसी प्रकार का संस्थापन परिवर्तन या नवीयन नही किया जाएगा
2 यह प्रमाणपत्र निम्मलिखित स्थितियों में लागू नही होगा–

शर्तें

(1) मुख्य निरीक्षक से लिखित अनुमति लिए बिना किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन या नवीयन नहीं किया जायेगा ।
(2) यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होगा ।
(क) उस अवधि के समाप्त होन पर जिसके लिए यह प्रदान किया गया था । या
(ख) मितोपयोजित्र के दुर्धटनाग्रस्थ हो जाने पर
(ग) यदि मितोपयोजित्र में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन या नवीयन किया जाता है । या
(ड) मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के आदेश पर मितोपयोजित के मालिक को इस आधार पर प्रयोग निषिद् करने पर कि यह खतरनाक स्थिति में है

(3) मितोपयोजि का प्रयोग उस दाब से अधिक नहीं किया जाएगा दाब/तापमान प्रमाणपत्र में अधिकतम दाब/तापमान के रूप में दर्ज कराया गया है । तथा विमोचन वाल्ब के जिस अधिकतम दाब/तापमान पर सेट किया गया है

(4) मितोपयोजित्र का प्रयोग उस स्थिति को जोड़कर किसी अन्य स्थिति में नही किया जाएगा जिसमें मालिक को यह विश्वास हो कि वह सुरक्षित ढंग से कार्य करने के अनुरूप है ।

विशेष ध्यान दें :–
इस मितोपयोजित्र का विवरण रजिस्ट्रेशन बही सं. –––––––––––––– में दर्ज किया गया है जिसकी एक प्रति मुख्य निरीक्षक को आवेदन करने पर तथा अदायगी करने पर प्राप्त की जा सकती है।

फार्म XII

(विनियम 613)

वेल्डर की योग्यता /पुनःयोग्ता परीक्षणों का रिकार्ड (भारतीय बॉयलर विनियम 1950)

परीक्षण का स्थान ———————————————
तारीख ————————————————————
बेल्डर का नाम ————————————————
पिता का नाम —————————————————
जन्म–तारीख ——————————————————
गैस/विद्युत आर्क पर कार्य अनुभव की अवधि —————————— वर्ष
बेल्डर के हस्ताक्षर ——————————————————————————

जिन फामों से प्रशिक्षण लिया उनके नाम व पते ———————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
परीक्षण की तारीख ————————————————————————
(प्लेट, पाइप, ट्यूब)

गैस या विद्युत ए. सी. / डी. सी. ————————————————
परीक्षण का प्रकार ———————————————————— स्थिति
(ग्रुव/मिलेट/ब्रांल)

प्रयुक्त सामग्री की मोटाई —————————— पाइप का व्यास और मोटाई, आधार सामग्री और इलेक्ट्रान या फिलर रॉड़ की गुणवत्ता ——

प्रेक्षण के परिणाम

	दिये गए अधिकतम अंक
(c) प्रक्रिया	
1. नमूने तैयार करना	3
2. इलेक्ट्रॉड या फिलर रॉड़ का आकार व कोटि	2
3.दौर (रन) की संख्या और नियंत्रण का युक्ति प्रयाग	5
(d) दृश्य निरीक्षण	

4. मूल –अन्तवेशन	10
5. उच्च कर्तन से युक्ति	5
6. दौर रन की स्थिति	2
7. पृष्ठ की एकरूपता	1
8. प्रोफाइल का आकार	1
9. जोड़ों का चिकना पन	2
10. केविटी और स्लैग से मुक्ति	5
11. वेल्ड निक्षेप की विमा	1
12. बेल्ड धातु की गुणवत्ता (अधिकतापन, पृष्ठ दरार स्पंजी पृष्ठ इत्यादि)	3
(ग) वास्तविक परीक्षण	
13. मुख्य वंकन (बेंड) परीक्षण	10
14 मूल वंकन परीक्षण	20
(घ) निक्षारण परीक्षण	
15. दौर रन की स्थिति	2
16. फ्यूजन की डिग्री	5
17. मूल अन्तर्वेशन	11
18. स्लैग अन्तर्वेशन	5
(ड़) विमंजित पृष्ठ	
19. वेल्ड धातु की गुणवत्ता (अत्यधिक आक्सीकरण) कार्बन व्यापन अधिकतापन कड़ापन, संचक्रता, प्रगटन)	7
	100

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

रेडियोग्राफिक निरीक्षण पर प्रक्षण (यदि किया गया है)

____

____

____

दिए गए अंक 1

मौखिक या लिखित निरीक्षण के परिणाम 1

दिये गये अंक 1

सक्षम प्राधिकारी की सामान्य अभ्युक्ति

———————————————————————————————

———————————————————————————————

गैस या विद्युत वैल्डिंग में योग्यता प्राप्त वेल्डिंग
का प्रकार और श्रेणी 1

प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि ——————— से ———————तक

स्थान ————————————

तारीख ————————————

सक्षम प्राधिकारी

फार्म सं **XIII**

योग्यता प्राप्त बॉयलर वेल्डर का प्रमाणपत्र
भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के अधीन जारी

फोटो पासपोर्ट आकार का फोटो

वेल्डर का नाम ————————————————————————

पिता का नाम —————————————————————————
जन्म तारीख ——————————————————————————

सक्षम प्राधिकारी की
मोहर व
हस्ताक्षर

पहचान चिह्न ————————————
बांए हाथ के
अंगूठे का निशान ——————————

वेल्डर के हस्ताक्षर ——————————
वेल्डर का पता ————————————
———————————————————————

वैधता की अवधि ————————————————————————————————————
———————————————————से—————————————————————————तक
——
——
——

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ————————— सुपुत्र श्री ———————— का निरीक्षण व परीक्षण
——————————————————— (सक्षम प्राधिकारी का प्रतिलिपि)
की उपस्थिति में कियागया और

यह मान लिया गया है कि यह नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार सही ढंग से वेल्ड करने के लिए अपनी योग्यता सिद्ध कर सकेगा । और इस प्रकार की वेल्डिंग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

जहां पर विनियमों के अधीन रेडियोग्राफी निरीक्षण करना आवश्यक हो वहां वेल्डिंग करने के लिए इनको प्राधिकृत किया जाता है / प्राधिकृत नही किया जाता है ।

आज तारीख —————————— माह————————— वर्ष
को प्राधिकारी ——————————————की मोहर और प्राधिकारी से प्रदान किया गया

मोहर

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

ब्यौरे में निम्नलिखित सूचना शामिल की जाएगी —

जिस तारीख को परीक्षण किया गया	प्लेट /पाइप ट्यूब की स्थिति
सामग्री की प्रक्रिया	मृदु इस्पात या एलाय स्पात

बेल्डिंग की श्रेणी
पृष्ठाधार पट्टी
इलेक्ट्रॉड श्रेणी (कार्बन या एलाय स्पात)
फिलर रॉड़ प्रकार
नमूना पीस का एक्सरे किया गया
था अथवा नहीं

वैधता की अवधि ——————————————————————————

——————————————————————————————————

से तक

——————————————————————————————————
——————————————————————————————————
——————————————————————————————————
——————————————————————————————————
——————————————————————————————————
——————————————————————————————————
——————————————————————————————————

रोजगार का ब्यौरा

से	तक	नियोक्ता	जिस कार्य पर नियुक्त किया गया है	नियोक्ता के हस्ताक्षर

आवरण पृष्ठ

फार्म XIV
(विनियम 394(ग))

राष्ट्रीय –प्रतीक

भातीय बॉयलर अधिनियम 1923 बॉयलर निरीक्षण विभाग
भाप पाइप और संयोजित फिटिंग

`

निरीक्षण बही ज्ञापन
पहचान संख्या

____
____

फार्म XIV
(विनियम 394(ग))

राष्ट्रीय –प्रतीक

भातीय बॉयलर अधिनियम 1923 बॉयलर निरीक्षण विभाग
भाप पाइप और संयोजित फिटिंग

पहचान चिह्न

——————————————

———————————————————————————————————
निरीक्षण बही ज्ञापन

विविध

जिला – ——————————————————————————
मालिक ——————————————————————————
फैक्ट्री का पता ————————————————————————
फैक्ट्री का कार्य ————————————————————————

———————————————————————————————————
बॉयलरों की पंजीकरण संख्या जिसमें पाइपों और ज्ञापन में दिया गया है

तारीख ———————————— परिवर्तन और परिवर्धन का व्यौरा
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

भाप पाइप ओर उनकी संयाजित फिटिंगों का प्लान —

————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

प्लान रिकार्ड का शुल्क और अनुमोदन

सं.	भाप पांडपों की कुल लगवाई	संयोजित पात्र नहीं बुलर सप्लाई संख्या	शुल्क	अदायगी की तारीख	प्लान और विन्यास की संख्या व तारीख	अनुमोदित डब्ल्यू. पी. किग्रा / सेमी

अनुमत तापमान 0 से

निरीक्षक की अभ्युक्ति व अधाक्षर

भाप पाइप – व्यौरा और विमा

स्थिति ———————————————————————————————

योजित बॉयलरों की रजिस्ट्री संख्या ————————————————

व पाइपिंग प्रणाली में से शामिल है —————————————————

———————————————————————————————————

पाइप सामग्री ब्यौरा (बाहरी) ————————

पाइप की मोटाई ——————————————— निर्माण ————

फ्लैंजो के संयोजन

एल्बो टी इत्यादि —————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

आधार ——————————————————————————————

अपवाह तंत्र —————————————————————————

प्रगरण तथा बल —————————————————————————

बाहरी व्यास —————————— मोटाई ——————————

निर्माण ———————————————————————————————

अधिकतम दाव —————————— अधिकतम तापमान ————————

संयोजित पत्र——————————————————————————

सं. ————————————————————————————————

प्रकार ———————————————————————————————

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

अधिकतम डिजाइन दाब —————— अधिकतम डिजाइन तापमान——————————
——
——
——

पत्र की तारीख ——

... निरीक्षण भीतरी ——————————————————————————————————————

... बाहरी ——

——
——
——

द्रवपालित परीक्षण : —————————किग्रा / सी एम.^{2} परीक्षणकर्ता —————तारीख——

——
——
——

परिकलन
भाप पाइप ——
——
——
——
——
——
——

परिकलन

प्रगरण नल ——————————————————————————————————————
——
——
——
——
——
——

भाप पाइप भी फिटिंग और पात्र ———————————————————————————
——
——
——
——
——
——
——
——
——

परिकलन

——
——
——
——
——
——

परिकलन

निरीक्षण की टिप्पणियां –जारी

फार्म XV–क
(विनियम 4 क (2))

भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के अधीन निरीक्षण प्राधिकारी बनने के लिए केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए फर्म द्वारा प्रश्नावली के उत्तर देना ।

1. संस्था का पंजीकृत नाम व पता
2. पत्र व्यवहार का पता
3. संस्था की स्थापना किस वर्ष में की गई थी
4. क्या आपकी संस्था सरकार से मान्यता प्राप्त है ।
5. क्या आपकी कोई शाखा या सम्बद्ध कार्यालय है?
6. निरीक्षण प्राधिकरण के रूप में आपकी संस्था कब से कार्य कर रही है ? यदि यह पंजीकृत कम्पनी है तो पंजीकरण की तारीख बताएं ।
7. उस मशीनरी की श्रेणी का व्यौरा दें जिसके निरीक्षण के लिए आपको प्राधिकृत किया गया है और वह कोड बताएं जिसके अन्तर्गत निरीक्षण किया गया है ।
8. निर्माण के दौरान निरीक्षण प्राधिकरण के रूप में जिन बॉयलरों के कार्यशील दाब का निरीक्षण किया गया है उन बॉयलरों के प्रकार आकार और रेंज का उल्लेख करें तथा आपने जिस श्रेणी की सेवा की है उसका भी उल्लेख करें अर्थात ––
9. विनिर्माण की विभिन्न आवश्यकताओं का नाम बताएं जिनमें निरीक्षण किया गया है ।

(ख) इस्पात निर्माण कार्य पर निरीक्षण न करना ।
(ग) बायलर का विनिर्माण पूरा होने के पश्चात केवल द्रवचालित परीक्षण ही करता । आपके नियोजन में कितने निरीक्षण अधिकारी हैं उन अधिकारियों की योग्यता का उल्लेख करें । क्या बॉयलरों के निर्माण के संबंध में अपेक्षित सभी विनाशक और गैर विनाशक परीक्षण करने के लिए आपके पास आपनी परीक्षण प्रयोगशाला है?

क्या आप बॉयलरों मितोपयोजित्रों का निरीक्षण कार्य करने के लिए तैयार हैं और उनके उपसाधन भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के हैं।

12. क्या आप अपनी ओर से जारी प्रमाणपत्र की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार है ।
13. क्या किसी प्राधिकारी द्वारा आपके निरीक्षण प्राधिकरण को मान्यता देने का आपका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है ?
14. क्या आपने उत्पाद के लिए भारतीय बायलर विनियम के फार्मेट में किए गए निरीक्षण का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए तैयार है ।
15. क्या आपको यह मालूम है कि मान्यता की अवधि केवल 3 वर्ष के पश्चात नवीयन किया जाता है ।

फार्म XV –ख
(विनियम 4 क (2))

भारतीय बॉयलर विनियम के विनियम 4 क (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त फर्म की सक्षमता के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली ।

1. फर्म का पंजीकृत नाम व पता
2. पत्रव्यवहार का पता
3. किस वर्ष में संगठन की स्थापना की गई थी ।
4. शाखा या सम्बद् कार्यालय का पता यदि कोई हो ।
5. संगठन का मुख्य कार्य
6. क्या संगठन में वैल्डरों के लिए कोई प्रशिक्षण अनुभाग है ? यदि हां तो स्कीम का व्यौरा दें।
7. क्या संगठन में वेल्डरों द्वारा किए गए बेल्डिंग कार्य का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है । यदि हां तो अपनाई गई संहिता और किए गए परीक्षण का ब्यौरा दिया जाएं
8. परीक्षण करने के लिए संगठन में कौन सी सुविधाए प्रदान या उपलब्ध कराई गई हैं ?
9. क्या संगठन अन्य संगठन में नियोजित वेल्डरों का परीक्षण करने के लिए तैयार है?
10. क्या संगठन आई. वी. आर. भी अपेक्षाओं के अनुसार परीक्षण करने के लिए तैयार है?
11. परीक्षण संचालित करने का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए, संगठन अभ्यर्थी से कितना शुल्क लेगा।

निम्नलिखित शीर्षों के प्राक्कलन दिए जाएं:–

(क) टेस्ट पीरा, इलेक्ट्राड और /या फिलर रॉड की सप्लाई के लिए ।
(ख) बेल्डिंग मशीन के प्रयोग के लिए
(ग) टेस्ट पीस बनाने और नमूने तैयार करने के लिए ।
(घ) यंत्रिक परीक्षण के लिए (नमूना तैयारी सहित)
(ड़) गेर – विध्वंसक परीक्षण के लिए

12. क्या संगठन आई बी. आर 1950 की अपेक्षाओं के अनुसार निरीक्षण और वेल्डरों को प्रमाणपत्र जारी
13. क्या संगठन अपनी और से जारी प्रमाणपत्रों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है।
14. क्या आपको यह मालूम है कि मान्यता की अवधि केवल 3 वर्ष है जिसका नए मूल्याकन पर हर तीन वर्ष के पश्चात नवीयन किया जाता है ।

फार्म XV–ग
(विनियम 4क (2))

भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 4 क (2) के अधीन सुविख्यात इस्पात निर्माता के रूप में अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए इस्पात निर्माता द्वारा प्रश्नावली के उत्तर देना ।

1. फर्म का पंजीकृत व पता
2. निर्माण कार्य का पता
3. किस वर्ष में फैक्टरी की स्थापना की गई थी ।
4. इस्पात उत्पादन की क्षमता
5. इस्पात विनिर्माण की प्रक्रिया
6. इस्पात उत्पाद की किस्म
7. प्रत्येक किस्म में तैयार इस्पात की किस्म
8. जिन विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस्पात उत्पादन का विनिर्माण किया गया है ।
9. निर्माण कार्य के भीतर उपलब्ध परीक्षण सुविधाएं
10. किए गए परीक्षणों के प्रकार
11. यदि हां तो परीक्षण किसने किए हैं ।
12. क्या फर्म द्वारा किए गए परीक्षण देश के अन्य संगठनों को भी स्वीकार्य है ।
13. क्या फर्म आई वी आर के अनुसार परीक्षण करने के लिए तैयार है ।
14. क्या उनको किसी ओर देश में भी ''सुविख्यात इस्पात निर्माता'' के रूप में मान्यता प्राप्त है ।
15. क्या वे अयस्क या अयस्क और स्क्रैप या केवल स्क्रैप से इस्पात का विनिर्माण करते हैं ।
16. क्या फर्म आई बी आर के उपबंधों के अधीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है ।
17. क्या फर्म बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई तीन सदस्यों की टीम को अपनी विनिर्माण प्रक्रिया और स्वतः परीक्षण दर्शाने के लिए सहमत हैं।
18. क्या आपको मालूम है कि मान्यता की अवधि केवल तीन वर्ष है जिसका नए मूल्यांकन पर हर तीन वर्ष के पश्चात् नवीयन किया जाता है ।

फार्म XV –घ
(विनियम 4क (2))

भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 4 क (2) के अधीन सुविख्यात ढलाई खाने / भट्टी के रूप में अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए ढलाई खाने / भट्टी के मालिकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर देना ।

1. फर्म का पंजीकृत नाम व पता
2. निमार्ण कार्य का पता
3. किस वर्ष में फैक्टरी की स्थापना की गई थी
4. ढलाई खाने / भट्टी की क्षमता
5. (1) ढलाई के उत्पादन की क्षमता
   (2) ढलाई/गढाई का अधिकतम भार और आकार
6. उनके द्वारा किए गए जाब के प्रकार का विस्तृत वर्णन
7. ढलाई / गढाई की सामग्री (लौह –सादा या एलॉय इस्पात अलौह एलॉय)
8. तैयार की गई ढलाई / गढाई की प्रत्येक किस्म की रेंज
9. निमार्ण कार्य के भीतर उपलब्ध परीक्षण सुविधाएं
10. परीक्षण सुविधाओं का विवरण अर्थात रासायनिक व भौतिक परीक्षण इत्यादि
11. किए गए परीक्षणों के प्रकार
12. यदि हां तो परीक्षण किसने किया है ।
13. क्या फर्म द्वारा किए गए परीक्षण देश के अन्य संगठनों को भी स्वीकार्य है ? यदि हां तो किनके स्वीकार्य है ।
14. क्या फर्म भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के अनुसार परीक्षण करने के लिए तैयार है ।
15. क्या उनको किसी और देश में भी सुविख्यात ढलाई खाते / भट्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है ।
16. क्या फर्म आई बी आर 1950 की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्देश के अनुसार ढलाई/गढाई का कार्य करने की स्थिति मे है।
17. क्या फर्म के पास किसी मान्यता प्राप्त प्रधिकरण के अधीन आई बी आर के उपबंधों के अनुसार ढलाई / गढाई का कार्य करने का पिछला अनुभव है ।
18. क्या फर्म आई बी. आर. 1950 के उपबंधों के अधीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है ।
19. क्या फर्म केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई तीन सदस्यों की टीम को अपनी विनिर्माण प्रक्रिया और स्वतः परीक्षण दर्शाने के लिए सहमत हैं ।
20. क्या आपको मालूम है कि मान्यता की अवधि केवल तीन वर्ष है जिसका कि मूल्याकंन पर हर तीन वर्ष के पश्चात किया जाता है ।

फार्म xv (ङ)
(विनियम 4 क (2))

भातीय बॉयलर विनियम 1950 के अधीन 'सुविख्यात ट्यूब / पाइप निर्माता' के रूप में केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए ट्यूब /पाइप निर्माता द्वारा प्रश्नावली के उत्तर देना ।

1. फर्म का पंजीकृत नाम व पता
2. निर्माण कार्य का पता
3. पंजीकरण सं. और पंजीकरण का वर्ष
4. ट्यूब/पाइप की उत्पादन क्षमता और आरम्भ से प्रतिवर्ष टन माह का विवरण ।
5. आई बी आर के अधीन मान्यता प्राप्त करने के कारण
6. उत्पादन की जाने वाली ट्यूब /पाइप के इस्पात की रेंज ।
7. उत्पादन की जाने वाली ट्यूब / पाइप के आकार की रेंज ।
8. ट्यूब / पाइप के विनिर्माण की प्रक्रिया
9. (क) क्या फर्म कच्चा माल तैयार करती है या कच्चा माल खरीदती है ।
   (ख) यदि कच्चा माल खरीदा गया है तो खरीद का ब्यौरा दें ।
10. यदि खरीद (ख–।।) के अनुसार की गई है तो क्या कच्चे माल का परीक्षण आई बी आर के अधीन ट्यूब निर्माता / पाइप निर्माता के परिसर में किया गया है ।
11. यदि फर्म कच्चा माल तैयार करती है तो बताएं कि फर्म को आई बी आर के अधीन सुविख्यात इस्पात निर्माता मान्यता प्राप्त है ।
12. फर्म में उपलब्ध मुख्य विनिर्माण सुविधाएं
13. निर्माण कार्य में उपलब्ध परीक्षण सुविधाएं ।
14. ट्यूबों / पाइपों पर किए गए परीक्षण के प्रकार फर्म के गुणवत्ता नियंत्रण और कार्मिकों के निरीक्षण सहित कच्चे माल की अवस्था से तैयार माल की अवस्था तक का पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण प्लान संलग्न करें ।
15. खराबी और अस्वीकृति या ब्यौरा
    (1) एन डी सी द्वारा
    (2) विनाशात्मक परीक्षण
16. क्या फर्म ट्यूबों / पाइपो का विनिर्माण करने की स्थिति में है और वह आई बी आर 1950 के उपबंधों के अनुसार अपनी आवश्यक परीक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं।
17. उन फर्मों के नाम जिनको ट्यूब पाइप सप्लाई किए गए हैं।
18. क्या फर्म इस बात से सहमत है कि वह बोर्ड द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों की टीम को विनिर्माण प्रक्रिया और अपनी सुविधाएं दर्शाएगी ।
19. क्या फर्म को यह मालूम है कि मान्यता की अवधि केवल तीन वर्ष है जिसका नए मूल्यांकन पर हर तीन वर्ष के पश्चात नवीयन किया जाता है।

फार्म XV (च)
(विनियम 4 क (2)देखें)

भातीय बॉयलर विनियम 1950 के अधीन विनियम 4 क के उप विनियम (2) के अधीन सुविख्यात सामग्री परीक्षण के रूपमें केन्द्रीय बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला द्वारा प्रश्नावली के उत्तर देना ।

1. प्रयोगशाला का पंजीकृत नाम व पता
2. प्रयोगशाला का पता
3. किस वर्ष में प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी
4. (क) क्या केंन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त थी
   (ख) यदि हां तो मान्यता का ब्यैरा दें
5. शाखा या संबद्ध प्रयोगशाला का नाम व पता यदि कोई हो
6. प्रयोगशाला उत्पाद के परीक्षण के लिए कब से कार्य कर रही है ।
7. गैर –विनाशात्मक या विनाशात्मक परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में उपलब्ध उपस्कर या मशीन ।
8. प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षण का प्रकार व रेंज
9. परीक्षण कर्मियों का ब्यौरा और उनकी योग्यता या अनुभव ।
10. क्या आप भारतीय बॉयलर विनियम 1950 की अपेक्षाओं के अनुसार सख्ती से नमूनों का परीक्षण करने के लिए तैयार है ?
11. क्या किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता प्राप्त करने का आपका अनुरोध अस्वीकृत किया गया है । यदि हां तो ब्यौरा दें ।
12. क्या आप भारतीय बॉयलर विनियम के फार्मेट में उस उत्पाद का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए तैयार है जिसका आप ने परीक्षण किया है ।

टिप्पणी:–

मान्यता केवल 3 वर्ष तक ही बैध है जिसका नवीयन नए मूल्यांकन पर 3 वर्ष के लिए किया जाता है।

फार्म XV (छ)
(विनियम 4 क (2)देखें)

भारतीय बॉयलर 1950 के विनियम 391 क के अधीन शेष (रेमनेन्ट) जीवन –मूल्यांकन संगठन के रूप में केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए फर्म द्वारा प्रशनावली के उत्तर देना ।

1. फर्म का पंजीकृत नाम व पता
2. फर्म का पता
3. किस वर्ष में फर्म की स्थापना की गई
4. (क) क्या फर्म केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है ।
   (ख) यदि हां तो मान्यता का ब्यौरा दें ।
5. शाखा या सम्बद्ध फर्म का नाम व पता यदि कोई हो ।
6. आपकी फर्म बायलरों और बॉयलरों के पुर्जों के शेष जीवन मूल्यांकन के लिए कब से कार्य कर रही है ।
7. गैर विनाशात्मक या विनाशात्मक परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में उपलब्ध उपस्कर या मशीनरी
8. फर्म द्वारा किए गए परीक्षणों के प्रकार व रेंज
9. परीक्षण कर्मियों और उनकी योग्यता व अनुभव का ब्यौरा
10. क्या आप भारतीय बॉयलर विनियम 1950 की अपेक्षाओं के अनुसार नमूनों के परीक्षण के लिए तैयार है ।
11. क्या अनुमोदित संगठन के रूप में मान्यता लेने के लिए आपका अनुरोध किसी प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है । यदि हां तो उसका ब्यौरा दें ।
12. क्या आप भारतीय बॉयलर विनियम के फार्मेट में सिफारिश किए गए परीक्षणों के प्रमाणपत्र जारी करने के लिए तैयार हैं?

हस्ताक्षर व मोहर

टिप्पणी:–
मान्यता केवल तीन वर्ष के लिए ही है जिसका नवीयन नए मूल्याकन के लिए किया जाता है ।

फार्म XVI (क)
(विनियम 4 ग (2))

क्रम सं.

राष्ट्रीय प्रतीक

केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड
निरीक्षण प्राधिकारी का अनुमोदित प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

मैसर्स ——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————

का निरीक्षण और गुणवत्ता प्रबंध पद्धति का मूल्यांकन केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा किया गया है और भारतीय विनियम 1950 के विनियम 4ग(2)

के अधीन निरीक्षण प्राधिकारी ——————————————————————————
—————————————————————————————— के रूप मे मान्यता दी गई है ।
यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष अवधि————————————तक बैध है ।
——
बैधता भारतीय बॉयलर विनियम के उपबंधों के अधीन गुणवत्ता नियंत्रण का पालन करने पर बैध है

जारी करने की तारीख ————————————————
अनुमोदन प्रमाणपत्र संख्या ——————————————————

सचिव

फार्म XVI (ख)
(विनियम 4 ग (2))

क्रम सं.

राष्ट्रीय प्रतीक

केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड
निरीक्षण प्राधिकारी का अनुमोदित प्रमाणपत्र

यह प्रमाणणित किया जाता है कि

मैसर्स ——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————

इसकी बॉयलर प्रणाली और गुणत्ता प्रबंध पद्धति का निरीक्षण किया गया है और भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 4ग(2) के अधीन निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा की गई है ।

यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष के लिए आर्थात —————————— तक बैध है ।
वैधता भारतीय बॉयलर विनियम के उपबंधों के अधीन गुणवत्ता नियंत्रण का पालन करने पर वैध है

जारी करने की तारीख ————————————————

अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. ——————————————————————

सचिव

फार्म XVI (ग)
(विनियम 4 ग (2))

क्रम सं.

राष्ट्रीय प्रतीक

केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड
सुविख्यात इस्पात निर्माता का अनुमोदन प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

मैसर्स ——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————

कि गुणवत्ता प्रबंध समिति का निरीक्षण और मूल्यांकन केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा किया गया और भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 4ग (2) के अधीन

———————————— के विनिर्माण के लिए सुविख्यात इस्पात निर्माता के रूप में मान्यता दी गई है ।

यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष के लिए अर्थात ———————— तक वैध है ।

वैधता भारतीय बॉयलर विनियम के आयुक्त के अधीन निर्माण गुणवत्ता का पालन करने पर वैध है ।

जारी करने की तारीख

अनुमोदन प्रमाणपत्र————————————————

सचिव

फार्म XVI (घ)
(विनियम 4 ग (2))

क्रम सं.

राष्ट्रीय प्रतीक

केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड

सुविख्यात ढलाई का अनुमोदन
प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

मैसर्स ————————————————————
————————————————————
————————————————————
————————————————————

प्रबंध पद्धति का निरीक्षण और गुणवत्ता का मूल्यांकन केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा किया गया और भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 4ग (2) के धीन सुविख्यात ढलाई पर ———————— के रूप में मान्यता दी गई है।

यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष के लिए अर्थात ———————————— तक वैध है वैधता भारतीय बॉयलर विनियम के उपबधों के अधीन निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण का पालन करने पर वैध है।

जारी करने की तारीख

अनुमोदन प्रमाणपत्र सं ——————————————

सचिव

फार्म XVI (ङ)
(विनियम 4 ग (2))

क्रम सं.

राष्ट्रीय प्रतीक

केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड

सुविख्यात भट्टी अनुमोदन
प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

मैसर्स ------------------------------

का निरीक्षण गुणवत्ता प्रबंध पद्धति का मूल्यांकन केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा किया गया और भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 4 ग (2) के अधीन सुविख्यात भट्टी ------------- के रूप में मान्यता दी गई है ।
यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष के लिए आर्थात ------------- तक वैध है ।
वैधता भारतीय बॉयलर विनियम के उपबंध के अधीन निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण का पालन करने पर वैध है ।

जारी कारने की तारीख ------------------
अनुमोदन प्रमाणपत्र सं ------------------

सचिव

फार्म XVI (च)
(विनियम 4 ग (2))

क्रम सं.

राष्ट्रीय प्रतीक

केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड

सुविख्यात ट्यूब निर्माता का अनुमोदन प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

मैसर्स ——————————————————————————
——————————————————————————
——————————————————————————
——————————————————————————

का निरीक्षण और गुणवत्ता प्रबंध पद्धति का मूल्यांकन केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा किया गया और भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 4 ग (2) के अधीन
——————————— आकार से ————————— तक की ट्यूबों के विनिर्माण के सुविख्यात ट्यूब निर्माता के द्वारा मान्यता दी गई है ।

यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष के लिए अर्थात ————————————— तक बैध है ।
वैधता भारतीय बॉयलर नियम के उपबंधों के अधीन निधारित गुणवत्ता नियंत्रण का पालन करने पर बैध होगी।

जारी करने की तारीख —————————————
प्रमाणपत्र सं.————————————————

फार्म XVI (छ)
(विनियम 4 ग (2))

क्रम सं.

राष्ट्रीय प्रतीक

केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड

सुविख्यात पाइप निर्माता का अनुमोदन प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

मैसर्स ————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

का निरीक्षण और गुणवत्ता प्रबंध पद्धति का मूल्यांकन केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा किया गया है और भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 4 ग (2) के अधीन —————— आकार से ———— तक के पाइप के विनिर्माण के लिए सुविख्यात पाइप निर्माता के रूप में मान्यता दी गई है ।
यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष के लिए अथार्त ————————तक वैध है ।
वैधता भारतीय बॉयलर विनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण का पालन करने पर वैध होगी।

जारी करने की तारीख ——————————
अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. ——————————

सचिव

भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 4ग के उप–विनियम (2) के अधीन सुविख्यात सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दी गई है ।
यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष के लिए अर्थात ––––––––––––तक वैध है ।

टिप्पणी :– वैधता भारतीय बॉयलर के नियम 1950 के उपबंधों के अधीन निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण के अधीन वैध है ।

जारी करने की तारीख ––––––––––––––––
अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. ––––––––––––––––

फार्म XVI (झ)
(विनियम 4 ग (2)देखें)

क्रम सं.

राष्ट्रीय प्रतीक

केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड

शेष (रेमनेन्ट) जीवन मूल्यांकन संगठन के रूप में अनुमोदन का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित फर्म का निरीक्षण और सामग्री परीक्षण पद्धति का मूल्यांकन करने के पश्चात

केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड ने भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 4ग के उप विनियम (2) के अधीन सुविख्यात शेष जीवन मूल्यांकन संगठन के रूप में मान्यता दी गई है ।

मैसर्स
——————————————
——————————————
——————————————

ये प्रमाणपत्र तीन वर्ष के लिए अर्थात ——————————तक वैध है ।

जारी करने की तारीख ————————————

अनुमोदन प्रमाणपत्र सं——————————

सचिव

फार्म XVII

लघु औद्योगिक बॉयलरों के लिए विनिर्माण और परीक्षण प्राणपत्र
(अध्याय XVII के अधीन विनिर्मित)

1. निर्माता का नाम ———————— निर्माण का वर्ष ———————
2. बॉयलर जिसके लिए विनिर्मित किया गया है —————————
3. संस्थापन की अवस्थिति ——————————————————
4. बॉयलर की पहचान

निरीक्षण अधिकारी की मुहर

5. आरेख सं ——————— परिवर्धन सं————————
5.क. डिजाइन कोड ———————— कार्यशील दाव (किग्रा / सेमी^{2})
6. बायलर का आकार
7. लम्बाई (मीटर) चौड़ाई (मीटर) ऊंचाई (मीटर) व्यास (मीटर)

————————————————————————————

7. शैल /भट्टी / ट्यूब /फ्लैज का विवरण

———————————————————————————————

सामग्री निर्देश रासायनिक यांत्रिक गुणधर्म

C Si Mn PS ys पाड %EL

——————————————————————————————

शैल ————————————————————
भट्टी ———————————————————
ट्यूब प्लेट ————————————————
फ्लैज ———————————————————
बॉयलर ट्यूब /पाइप/ पैड का विवरण ————
व्यास मोटाई सामग्री विनिर्देश——————————

रासायनिक संघटन यांत्रिक गुणधर्म
C Si Mn PS ys पाड %EL

ट्यूब

——————————————————————————

पाइप ——————————————————————
पैड ————————————————————————

8. परिणात्मक क्षमता ————————————————————————

9. तापक पृष्ठ (वर्ग मीटर)

10. टोंटी — जोड़

(क) भाप निर्णय ————————————————————————
(टोंटी की संख्या, आकारा व प्रकार)

(ख) सुरक्षा वाल्ब ——————————————————————
(टोंटी की संख्या, आकार व प्रकार)

(ग) सहायक (वायु निर्गम)————————————————————
(आकार व प्रकार)

(घ) ब्लो ऑफ वाल्ब ——————————————————————
(टोंटी की सं आकार व प्रकार)

(ड़) जोड़ की संख्या आकार व प्रकार

विनिर्मता के हस्ताक्षर

यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त

निरीक्षण अधिकारी द्वारा निर्मित बॉयलर का पर्यवेक्षण व निरीक्षण विनिर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में किया गया है।

निरीक्षण —अधिकारी

निरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख ————————— माह ——————————वर्ष19——————